2025 / 170

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08 / 2025 (राजसमन्द आर्डर)

1. अर्जून पिता बन्द्री जाति रेबारी निवासी माण्डावाड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती अणछी पत्नी बन्द्री जाति रेबारी निवासी माण्डावाड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती इन्द्री पत्नी सवाजी जाति रेबारी निवासी माण्डावाड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. दिनेश पिता सवाजी जाति रेबारी निवासी माण्डावाड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
5. पहाड़ाराम पिता नेनू जाति रेबारी निवासी माण्डावाड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
6. बाबुलाल पिता नेनु जाति रेबारी निवासी माण्डावाड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
7. मोहन पिता सवाजी जाति रेबारी निवासी माण्डावाड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
8. रणजी पिता बन्द्री जाति रेबारी निवासी माण्डावाड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
9. रतन पिता सवाजी जाति रेबारी निवासी माण्डावाड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
10. शंकर पिता जगु जाति रेबारी निवासी माण्डावाड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
11. मेरमसिंह पिता लालसिंह जाति रेबारी निवासी माण्डावाड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती राजेन्द्र कंवर पत्नी दुर्गासिंह जाति राजपूत निवासी [illegible], तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:16 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
दिनांक 09.04.2025 प्र.सं. 138/24

––00....–::–––

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलार्थीगण
2– श्री अनिल बागोरा राजकीय अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 2

–––::–––

<u>**निर्णय**</u> <u>**दिनांक 26–12–2025**</u>

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 983, 984, 985 कुल किता 3 रकबा 4.0100 हैक्टयर भूमि ग्राम माण्डावाड़ा में स्थित है, जिसमें आने जाने का रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 10 की आराजी नम्बर 1111, विपक्षी संख्या 11 की आराजी नम्बर 1113, विपक्षी संख्या 12 की आराजी नम्बर 1120/1177 से है। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में आने जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही हैं, लेकिन विपक्षीगण रास्ता देने को तैयार नही है। अतः विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1111, 1113, 1120/1177 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकर्ड में अंकन कराया जावें।

2. विपक्षी संख्या 11 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 11 की भूमि से प्रार्थीया का कोई रास्ता नही है, प्रार्थीया के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद नये रास्ते की मांग कर रही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार देवगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 09.04.2025 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत आदेश पारित किया जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 से 11 ने यह अपील न्यायालय में दिनांक 22.05.2025 को प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:16 IST
Reason: SelfAttested

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुये तथा उनकी ओर लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो पत्रावली के रेकर्ड पर है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्टगण बिना सुने उनकी अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, यदि रिपोर्ट अपीलान्टगण की उपस्थिति में तैयार की जाती तो वास्तविक स्थिति सामने आ जाती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट आने पर उस पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अपीलान्टगण को कोई अवसर नही दिया है। आराजी नम्बर 1086, 1085, 1089 से होकर आराजी नम्बर 1105 जो पूर्व से ही रास्ते है, उससे रेस्पोडेन्ट अपनी भूमि पर आ जा सकते है, जो सबसे निकटतम रास्ता होकर मात्र 50 मीटर की दूरी पर सार्वजनिक रास्ता मौजूद है एवं इसी रास्ते का रेस्पोडेन्ट कदिम समय से उपयोग करते चले आ रहे है, फिर भी जानबूझकर अपीलान्टगण की भूमि के बीचों–बीच रास्ता कायम किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अपीलान्टगण ने अपने भूमि के चारों ओर पक्की बाउण्ड्रीवाल बना रखी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि पर माईनिंग लीज का कार्य किया जा रहा है, इसके लिए उनके द्वारा 20 फिट रास्ते की मांग की गई है, जबकि हल बैल ट्रैक्टर लाने के लिए मात्र 8–10 फिट रास्ते की ही आवश्यकता होती है। तहसीलदार ने अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में बिना अपीलान्टगण को सुने मनमकसुद तरिके से रिपोर्ट पेश कर दी, जिस पर अपीलान्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 39 नियम 07 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गुणावगुण पर विचार किये निरस्त कर दिया, जबकि मौके की वस्तुस्थिति रिकॉर्ड पर आ जाती तो न्यायिक निर्णय के लिए सुविधाजनक होती। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त [illegible]।

6. रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से विद्वान सरकारी अभिभाषक ने बहस करते हुए प्रकरण में राजकीय हित निहित नही होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:16 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

7\. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा अपने खाते की आराजी नम्बर 983, 984, 985 कुल किता 3 रकबा 4.0100 हैक्टयर में आने–जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 से 10 की आराजी नम्बर 1111, विपक्षी संख्या 11 की आराजी नम्बर 1113, विपक्षी संख्या 12 की आराजी नम्बर 1120/1177 में से 20 फीट चौड़े रास्ते की मांग की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.06.2023 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 17/2023 प्रस्तुत की गई जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2024 को स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पेज संख्या 102 पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा सहायक कलेक्टर देवगढ़ को प्रेषित पत्र संलग्न है, जिसमे तहसीलदार द्वारा यह अंकित किया गया है कि निर्णय दिनांक 21.06.2023 अनुसार आराजी नम्बर 1129/1177 बिलानाम भूमि में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है परन्तु निर्णय में आराजी नम्बर 1120 अंकित कर दिया गया है जो गलत है। अतः संशोधित आदेश फरमाया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.2023 को संशोधित आदेश पारित करते हुए आराजी नम्बर 1120 के स्थान पर आराजी नम्बर 1129/1177 में से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया है, किन्तु आराजी नम्बर 1129/1177 संलग्न नजरी नक्शे एवं जमाबंदी में कहीं पर भी अंकित नहीं है, ना ही उक्त संशोधित आदेश की कोई अपील ही इस न्यायालय में की गई है। अपीलान्टगण का कथन है कि मौका रिपोर्ट अपीलान्टगण को बिना सूचना दिये उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गई है जिस पर उनके द्वारा मौके की वस्तु स्थिति हेतु धारा 39 नियम 7 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गुणावगुण पर विचार किये प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अपीलान्टगण का यह भी कथन है कि [illegible] पास सबसे निकटतम दूरी का वैकल्पिक रास्ता आराजी नम्बर 1085, 1086, 1089 में से होकर आराजी नम्बर 1105 जो पूर्व से रास्ता है एवं जिसकी दूरी करीब 50 मीटर होकर पूर्व से ही रास्ता मौजूद है, जिसका उपयोग

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:16 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उपभोग कदीम से करते चले आ रहें है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण की आराजी के बीचों–बीच से रास्ता कायम कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता दिया गया है, वह अपीलान्टगण की आराजी के बीचों–बीच से दिया जाकर लम्बी दूरी का रास्ता दिया जाना प्रकट होता है, जबकि अपीलान्टगण द्वारा जो रास्ता बताया गया है, वह प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार न्यूनतम दूरी का रास्ता होना प्रकट होता है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

8. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ निर्णय दिनांक 09.04.2025 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों की उपस्थिति में तहसीलदार से पुनः मौका पर रिपोर्ट प्राप्त कर तथा अपीलान्टगण को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16.02.2026 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सत्यमेव जयते, उदयपुर

26.12

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:16 IST
Reason: SelfAttested